राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

क्रमांक : स्था/राउन्यापी/2015/ 244 दिनांक: 1/7/2015

निविदा सूचना

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में वित्तिय वर्ष 2015-2016 के लिए सफाई कार्य हेतु अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। यह कार्य आंशिक रूप से मशीनों द्वारा एवं अंशत: मानव श्रम द्वारा किया जावेगा:-

कार्य का नाम	अनुमानित लागत	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र का शुल्क	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	सील बंद लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निर्धारित तिथि तक प्राप्त निविदा खोले जाने की दिनांक
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर (नया व पुराना) जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 26160 वर्गमीटर है, का दैनिक सफाई कार्य	12.00 लाख	24,000/-	Rs.400/-	20.7.15 दोपहर 12.00 बजे तक	20.7.15 अपरान्ह 3.00 बजे तक	21.7.15 अपरान्ह 3.00 बजे

निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर की website एवं SPP portal पर भी उपलब्ध है, से भी डाउनलोड किये जा सकते है। website से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के शुल्क की राशि रूपये 400/- का डीडी (रजिस्ट्रार प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के पक्ष में) पृथक से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

किसी भी निविदा को स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को पूर्ण अधिकार होगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाये स्वीकार नही की जावेगी।

1/7/15

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ
जयपुर

परिशिष्ट - अ

कार्यालय - रजिस्ट्रार (प्रशासन),राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर.
निविदा प्रपत्र

1. कार्य का नाम - राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ परिसर की सफाई कार्य जिसके लिऐ निविदा पेश की जा रही है।

2. निविदा देने वाली फर्म का नाम
फर्म का पता (i) स्थायी----------

(ii) स्थानीय----------
---.

3. मोबाईल व टेलीफोन नम्बर:- (i) टेलीफोन न. .....(ii)मोबाईल न.....

4. कार्य के संबंध में पिछला अनुभव व उसका विवरण

क्रम सं.	संस्था/ कार्यालय का नाम	क्षेत्रफल	कार्य की लागत
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

उक्त के सत्यापन के लिए संबंधित संस्था से संतोषजनक कार्य किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

5. संदर्भ- स्था/राउन्यापी/2015-16/..... दिनांक.....

6. निविदा शुल्क - रूपये 400/-, जमा कराने का विवरण:-
रसीद संख्या/डीडी/वीसी/अन्य---------- दिनांक _____

7. हम रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा जारी किये गये टेण्डर नोटिस संख्या..... दिनांक .....में वर्णित सभी निबंधन एवं शर्तों (Terms and conditions) को तथा संलग्न कागजों में दी गयी उक्त निविदा कोटि की अग्रिम निबंधन एवं शर्तों (Terms and conditions) को भी पढ़ने व समझने के पश्चात जिनके कि सभी पृष्ठों पर हमने उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार करने के लिए हस्ताक्षर किये हैं, को मानने के लिए बाध्य हैं।

8. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में निविदा अनुसार दैनिक सफाई का कार्य के लिए दरे निर्धारित प्रारूप में संलग्न हैं।

9. बोली प्रतिभूति राशि रूपये **24,000/-** जमा कराने का विवरण
DD/ BC No. _____ दिनांक _____
बैंक का नाम_____

10. रजिस्ट्रेशन इत्यादि का विवरण:-

क्रम संख्या	विवरण	रजिस्ट्रेशन संख्या	पंजीकरण दिनांक	वर्ष
1.	श्रम विभाग			
2.	इ पी एफ (राजस्थान)			
3.	ई एस आई (राजस्थान)			
4.	सर्विस टेक्स			
5.	पेन नम्बर			
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशीप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इंडियन कम्पनी एक्ट 1956 के अंतर्गत			

.....

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे / हमारे द्वारा दिये गयें उक्त तथ्य गलत पाये गये तो बिना किसी पत्र/ नोटिस के मेरी/ हमारी अमानत राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर को प्रदान करता हूँ / करते है।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

संलग्न: 1.
2.
3.
4.

नाम:
पता:

परिशिष्ट "ब"

निविदा प्रपत्र

कार्य का विवरण	आदेश की दिनांक से एक वर्ष तक ठेके की राशि
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ परिसर (पुराना एवं नया भवन) की सफाई व परिसर के भीतर चारों तरफ स्थित सड़कों की सफाई का कार्य निविदा में दिये गये पूर्ण कार्य की राशि या विवरणानुसार (समस्त करो एवं अन्य देयताओ सहित) 1. सामग्री सहित (प्रतिमाह) 2. सामग्री रहित (प्रतिमाह)	

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम-
पता-
वर्तमान पता-
स्थायी पता
फोन नं. -
मोबाईल नं.

उपरोक्त निविदा से सम्बन्धित सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तों को पढ़ लिया गया है व यह प्रतिबन्ध एवं शर्तें स्वीकार्य है तथा राजस्थान उच्च न्यायालय भवन के पूर्ण परिसर की चारों तरफ की भवन की सफाई (दिये गये विवरणों के अनुसार) सामग्री सहित एवं सामग्री रहित दरें उपरोक्तानुसार प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर निविदादाता

परिशिष्ठ "स"

सफाई कार्य हेतु काम में ली जाने वाली सामग्री का विवरण

'अ' सफाई सामग्री

क्र.स.	सफाई सामग्री का विवरण	सफाई सामग्री की मात्रा प्रतिदिन	सफाई सामग्री का ब्राण्ड
1.	लिक्विड सोप, निरमा पाउडर (Standard Company)		
2.	एसिड, बिलिंचिंग पाउडर आदि (Standard Company)		
3.	हार्पिक (Standard Company)		
4.	फिनायल (Standard Company)		
5.	फिनायल की गोलियां (Standard Company)		
6.	ओडोनिल (Standard Company)		
7.	रूप स्प्रे (Standard Company)		
8.	कालीन स्प्रे (Standard Company)		
9.	फिनीट (Standard Company)		
10.	अन्य सामग्री (Standard Company)		

'ब' सफाई सामग्री

क्र.सं.	सफाई सामग्री का विवरण	सफाई सामग्री की मात्रा (प्रतिदिन)
1.	टायलेट साफ करने का ब्रश	
2.	जूट	
3.	पौंछा, सन/ पौंछा कोटन	
4.	जाले साफ करने का बांस	
5.	झाड़ू	
6.	Stair Case (सीढी)	
7.	ब्रश	

उक्त सफाई सामग्री की मात्रा एवं सफाई सामग्री का ब्राण्ड की सूची निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम व स्थायी पता

मोबाईल नम्बर ----------

परिशिष्ठ "द"

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर(नया व पुराना) (except Advocates" Chambers and Office of the Legal Authority Department)जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 26160 वर्गमीटर है, की सफाई हेतु कार्य क्षेत्र एवं निविदा प्रस्तुत करने की शर्तें

1. उच्च न्यायालय परिसर जिसमें नवनिर्मित भवन एवं पुराना भवन जिसमें सभी न्यायालय, सभी चैम्बर ,सभी अनुभाग, गेलेरियॉ, सभी कॉरीडोरो, सभी चौक, टॉयलेट्स, छतें, सीढियॉ, फंवारे एवं पोर्च आदि सम्मिलित है, साथ ही नये भवन के पीछे स्थित वाहन चालक कक्ष एवं वाहन खडे रखने के लिए निर्धारित पार्किंग का स्थान, नये एवं पुराने भवन को जोडने वाले सभी ब्रिज, गेट के नम्बर 04 के पास स्थित काउन्टर , डाक प्राप्ति अनुभाग एवं उसके बाहर का पुरा क्षेत्र, पुरानी डीएलबी बिल्डिंग का सम्पूर्ण परीसर, पुराने भवन में स्थित एक्सरे बेगेज की मशीने, म्यूजियम वाला चौक आदि सम्पूर्ण परिसर की सफाई करनी होगी। परिसर के भीतर चारों तरफ स्थित सड़कों की सफाई का कार्य भी करना होगा।
2. उच्च न्यायालय समय प्रारम्भ होने के दो घण्टे पूर्व व न्यायालय समय समाप्त होने से दो घण्टे पूर्व दो बार पोंछा लगाना होगा व सफाई कार्य में उचित मात्रा में फिनाईल, साबुन के पानी का घोल आदि का उपयोग करना होगा। उपरोक्त परिसर में सफाई प्रतिदिन मशीनो द्वारा भी का जावेगी, विभिन्न जगहो पर लगे हुये पीवीसी फ्लोरिंग की सफाई भी केमिकल की सहायता से मशीनों द्वारा की जावेगी।पान के दाग एवं टाईल्स/ संगमरमर/ ग्रेनाईट साफ करने होगें । प्रत्येक कमरे के/ गलियारे में समय-समय पर जाले हटाने होगें। सभी कक्षो में स्थित फर्नीचर, अलमारी आदि की डस्टिंग करने का कार्य सुखे एवं गीले पौंछे से करना होगा एवं इनमें लगे हुए गिलास (टेबिल टोप) की सफाई कॉलिन द्वारा की जायेगी । सफाई के लिए परिशिष्ठ "स" में दी गयी सामग्री का उपयोग करना होगा।
3. इस परिसर में स्थित समस्त शौचालयों की सफाई एवं फिनाईल से धुलाई का कार्य प्रतिदिन दो बार करना होगा। । यूरीनल पॉटस में फिनाईल की गोलियों का प्रयोग प्रतिदिन करना होगा। समय-समय पर एसिड से सफाई तथा सफाई कर शौचालय को पूर्णत: साफ करना होगा। शोचालयो में ओडोनिल फ्रेशनर टेबलेट रखने होगे व समाप्त होने पर नियमित रूप से बदलने होगें। उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा निर्देशित स्थानों पर सुगन्धित द्रव्यों का इस्तेमाल भी करना होगा।
4. भवन की समस्त सीढ़ियों एवं सीढियों की रेलिंग, पोर्च एवं भवन में स्थित रैलिंग्स/ खिडकियो की सफाई पीताम्बरी / कॉलीन द्वारा प्रतिदिन करनी होगी।
5. भवन के समस्त प्रकार की खिडकियों के शीशे, खिड़कियों के बेस व अन्य समस्त दरवाजों एवं खिड़कियों की सफाई प्रत्येक माह में दो बार करनी होगी। यह सफाई का कार्य कार्यालय समय में ही करना होगा।ठेकेदार के सफाई कर्मियो द्वारा सफाई के लिए उपयोग में लिये जाने वाली समस्त सामग्री एवं उपकरण सफाई करने के बाद निर्धारित जगह पर ही रखी जावेगी एवं गंदे पौंछे, डस्टर आदि की धुलाई निर्धारित नलों पर ही की जावेगी।
6. पूर्ण परिसर में कांच की सफाई सप्ताह में एक बार आवश्यक इक्यूपमेंट से करनी होगी।
7. समस्त भवन की छतों की सफाई का कार्य भी माह में एक बार करना होगा।
8. समस्त तलों पर स्थित थूंकदान एवं पीकदान की सफाई एवं उसमें मिट्टी राख का परिवर्तन प्रतिदिन करना होगा। भवन में रखी गयी टॉयलेट की पानी की टंकियों की सफाई माह में एक बार अवश्य करनी होगी।

9. भवन के समस्त तलों पर स्थापित बोर्ड एवं चार्टों की सफाई सप्ताह में एक बार अवश्य करनी होगी।

10.राज्य सरकार / श्रम विभाग द्वारा अनुबंध की अवधि में श्रमिकों के मानदेय में किसी भी प्रकार की बढोतरी होने पर फर्म द्वारा निविदा में निर्धारित कर्मचारी के मूल मानदेय में उक्त बढोतरी को जोडकर मानदेय लागू होने के दिनांक से श्रमिकों को बढी हुई दरों के आधार पर सम्पूर्ण राशि एवं वैधानिक देयताओं का भुगतान करने की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी तथा इसके लिए फर्म द्वारा अनुमोदित राशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि की मांग उच्च न्यायालय प्रशासन से नहीं की जावेगी।

11.सफाई कार्य हेतु श्रम विभाग / राज्य सरकार के प्रावधानो के तहत कोई लाईसेंस/ अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह ठेकेदार स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार को अपने सफाई कर्मी के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये मानदेय इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

12.समस्त तलों व परिसर की सफाई करने के पश्चात कूड़ा करकट एवं कचरे को उचित स्थान पर जलाकर उसे परिसर से बाहर उचित स्थान पर डालने की व्यवस्था करनी होगी।

13.परिसर में जिन अवकाशगारो पूर्ण चेम्बर एवं कमरों में कारपेट लगे हैं, उनकी नियमित सफाई वेंक्यूम क्लिनर से करनी होगी।

14.परिसर में खाली कच्ची भूमी पर जो भी जंगली घास हो को समय-समय पर हटाना होगा।

15.ठेकेदार को अपने सफाई कर्मियों की यूनिफॉर्म नीले रंग की उपलब्ध करानी होगी जिस पर फर्म का नाम अंकित होगा, ड्यूटी के दौरान वर्दी पहननी होगी व पहचान पत्र / परीचय पत्र एवं नेम प्लेट उपलब्ध कराने होगें जिस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा। यदि कोई सफाई कर्मी निरीक्षण के दौरान बिना वर्दी या परीचय पत्र के पाया जायेगा तो प्रतिदिन रूपये 100/- की दर से शास्ति वसूल की जा सकेगी।

16.ठेका अवधि के दौरान सफाई कर्मियो के द्वारा किसी भी समय, कितनी भी अवधि एवं किसी भी कारण से कार्य का बहिष्कार किया जाता है या हडताल की जाती है तो यह निविदादाता द्वारा दी जाने वाली सेवाओ में कमी मानी जावेगी एवं शर्तो का उल्लंघन माना जाकर प्रत्येक ऐसे अवसर / घटना के लिए उच्च न्यायालय प्रशासन को रूपये 10,000/- तक की शास्ति लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।

17.चूहों व अन्य कीटो पर नियंत्रण (Pest control) की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।इस हेतु ठेकेदार/ फर्म को चूहों / कीटो के नियंत्रण के लिए इनको पकडने के काम आने वाले उपकरण / सुरक्षित केमीकल्स का उपयोग अपने स्तर से करना होगा जिस पर होने वाला समस्त व्यय की राशि ठेकेदार द्वारा वहन की जावेगी/ इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर रूपये 300/- प्रति शिकायत शास्ति लगायी जायेगी ।

18.फर्म/ ठेकेदार को बायो मेडिकल वेस्ट (management & handling) नियम 1998 के प्रावधानो की पूर्ण पालना करनी होगी। इसका उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्व कार्यवाही संभावित की जावेगी।

19.बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट का कार्य करने वाले सफाई कर्मियों की सुरक्षा हेतु जरूरी ट्रेनिंग, दस्ताने एवं मास्क आदि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं के स्तर से करनी होगी।

20.अनुमोदित ठेकेदार अथवा उसका एक प्रतिनिधि न्यायालय समय से दो घण्टे पूर्व से न्यायालय समय समाप्त होने तक उपलब्ध रहेगा।

21.परिसर में प्रत्येक तल के लिए पॉच सफाई कर्मी नीले रंग की यूनिफॉर्म में न्यायालय समय तक उपलब्ध रहेंगे तथा समय-समय पर कमरों के सामने एवं थूकदानों में फेंके गये कचरे को हटाते रहेंगे। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्यूटी के समय सफाई कर्मियो का व्यवहार शालीन रहेगा। सफाई कर्मियो द्वारा कार्य न करने, व्यवधान उत्पन्न करने, धुम्रपान / गुटखा/ पान / शराब इत्यादि का सेवन किये हुये पाये जाने पर, अपराधिक व अवांछित गतिविधियो में लिप्त पाये जाने पर या इसकी शिकायत प्राप्त होने पर सभी प्रकार की जिम्मदारी ठेकेदार की होगी एवं तुरन्त प्रभाव से ऐसे कार्मिक के स्थान पर दूसरा कार्मिक लगाना होगा ।

22.श्रम नियमों के अनुसार किसी सफाई कर्मी की आठ घण्टे से अधिक ड्यूटी नहीं ली जायेगी। श्रम नियमों के अन्तर्गत देय पी एफ/ ई एस आई का भुगतान संवेदक को ही करना होगा। सर्विस टैक्स व सभी प्रकार के करों का जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। यह ठेका राशि में शामिल है।

23.राजकीय अवकाश के दिनों में निविदा दाता को पांच सफाई कर्मी उपलब्ध कराने होंगे।तथा अवकाश के दिनों में भी परिसर बरामदे, चैम्बर्स, समस्त सड़के , फुटपाथ एवं जनरल टॉयलेट्स की आवश्यकतानुसार सफाई करनी होगी।

24. अनुमोदित ठेकेदार को सफाई व्यवस्था में कार्यरत सफाई कर्मियों का पुलिस वेरीफिकेशन अपने स्तर पर करवाना होगा व उनका परिचय पत्र भी बनवाना होगा।

25.सफाई व्यवस्था हेतु कम से कम 25 आदमी (सफाई कर्मी) प्रतिदिन आवश्यक रूप से लगाने होगें। ठेकेदार, सफाईकर्मी को संबंधित जॉब बेसिस कार्य के लिए आवश्यक शैक्षणिक / तकनीकी / अनुभव योग्यतानुसार ही कार्य पर लगायेगा, किसी भी सफाईकर्मी से डबल ड्यूटी नही करवायी जावेगी तथा सफाइकर्मियो को सप्ताह में एक सवैतनिक अवकाश अनिवार्य रूप से देना होगा।

26.ठेकेदार को एक निरीक्षक/ सुपरवाईजर लगाना आवश्यक होगा जो प्रत्येक सफाई कर्मियो के कार्य की रिपोर्ट / शिकायत प्रतिदिन न्यायालयाधिकारी हो प्रस्तुत करेगा तथा इसका रिकोर्ड भी सुरक्षित करेगा एवं रजिस्ट्रार (प्रशासन) द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

27.सफाई कर्मचारी अपनी उपस्थिति प्रात: रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष आवश्यक रूप से दर्ज करायेंगे तथा कार्यालय समय में उपस्थिति के आधार पर बिल का भुगतान किया जावेगा।

28.ठेके की दरे सामग्री सहित एवं बिना सामग्री के उल्लेखित करें।

29.सफाई सामग्री अच्छी किस्म की होगी एवं किसी प्रकार की मिलावट पायी गयी तो सामग्री को जब्त कर ठेके को रदद करने का अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर को होगा।

30.ठेकेदार, जिनकों पूर्व में राजकीय विभागों/कार्यालयों, अर्द्धशासकीय कार्यालय भवन, बहु मंजिला ए क्लास भवनों में सफाई कार्य का एक वर्ष का अनुभव हो, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी तथा अनुभव का प्रमाण पत्र जो कि सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी

किया गया हो, निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

31.उत्कृष्ठ अनुभव के अभाव में टेण्डर स्वीकृत करने/ नहीं करने का अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर का होगा।

32. अनुमोदित ठेकेदार को उच्च न्यायालय परिसर में पूर्ण रूप से स्वच्छता रखनी होगी।

33.अनुमोदित ठेकेदार सफाई के कार्य का ठेका किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर ठेका निरस्त किया जाकर निविदा की शर्तो एवं अनुबंध के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। ठेकेदार द्वारा कार्य बीच में छोडने, अनुबन्ध की शर्तो की पालना नही करने या ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद नही होने के स्थिति में स्वीकृत ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि एवं बैंक गारन्टी की राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालय प्रशासन का होगा।

34.ठेका अवधि में किसी प्रकार की टूट- फूट होने पर या सफाईकर्मियो द्वारा राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी दुरस्तगी एवं मरम्मत ठेकेदार द्वारा तीन दिन में करवायी जावेगी। यदि किसी कारण से ठेकेदार इस अवधि में यह कार्य करने में असमर्थ रहता है तो टूट-फूट ठीक करवाये जाने का कार्य प्रशासन अपने स्तर पर करवाकर सम्पति के वास्तविक मूल्य की राशि से दुगुनी राशि की वसूली ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलो में से करने का पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालय प्रशासन का होगा।

35.ठेकेदार द्वारा लगाये गये सफाई कर्मियो की किसी भी कारण अथवा कार्य के समय व कार्य समय के उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी रूप में अथवा दुघर्टना में घायल/ अपंग हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मुआवजा देने की जिम्मदारी व दायित्व ठेकेदार की होगी जिसके लिए सरकार व उच्च न्यायालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

36.सफाई की व्यवस्था के लिए रजिस्ट्रार, प्रशासन राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर द्वारा अथवा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी/ अनुबंध के आदेशों व ठेके की शर्तों की पालना ठेकेदार को करनी होगी।

37.स्वीकृत दर, अवधि, निविदा, अनुबंध्ं की शर्तो पर विवाद की स्थिति में रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।

38.निविदा की शर्तो के अनुसार सफाई कार्य का ठेका आदेश की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए दिया जावेगा। ठेकेदार फर्म का कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में दोनो पक्षो की सहमति से ठेका अवधि में नियमानुसार पूर्व निर्धारित शर्तो एवं दरों पर एक वर्ष के लिए वृद्वि की जा सकेगी।

39.निविदा प्रपत्र में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें :-

(i)पूर्णत: भरा हुआ हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र- परिशिष्ठ "अ" व :ब" प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मोहर सहित,

(ii)कार्य के अनुभव के संबंध में प्रस्तुत विवरण के लिये प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ,

(iii)पेन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि,

(iv) रजिस्ट्रेशन के संबंध में दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ,

(v)बोली प्रतिभूति की वॉछित राशि का बैंक ड्राफ्ट / बेंकर चैक,

(vi)निविदा दाता के स्थायी पते के प्रूफ के रूप में प्रमाणित दस्तावेज की प्रतिलिपि,

(vii) सफाई कार्य में उपयोग में ली जाने वाली सामग्री का हस्ताक्षरित विवरण (मय ब्राण्ड/ मार्का) परिशिष्ठ "स",

(viii)सफाई कार्य मे उपयोग में ली जाने वाली मशीनो का विवरण(निविदा की शर्तो का बिन्दू संख्या 55 पर देखे।

(ix)वित्त (जी एण्ड टी) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.1(8) वित्त / साविलेनि/201 1 संख्या 3/2013 जयपुर दिनांक 04.02.2013 में उल्लेखित नियम भी लागू रहेगें जो शर्तो के साथ संलग्न है।

40. अनुमोदित ठेकेदार कार्यालय / ट्रेजरी के द्वारा किसी भी कारण से देरी से बिल पास होने एवं भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का क्लेम उच्च न्यायालय प्रशासन (जयपुर पीठ) से नही करेगा ।सामान्य परिस्थितियो में प्रत्येक माह बिल प्रस्तुत करने के 07 कार्य दिवस में भुगतान किया जावेगा। प्रत्येक बिल के साथ सर्विस टेक्स/ ई एस आई/ ई पी एफ की राशि संबंधित संस्था में जमा कराने के (गत माह का) प्रूफ की प्रतिलिपि लगानी होगी। ई पी एफ / ई एस आई से संबंधित प्रतिलिपि पर ठेकेदार द्वारा यह अंकित किया जावेगा कि " प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेश क्रमांक .....दिनांक.....के क्रम में ठेके पर माह..... में उपलब्ध करवाये गये बिल नम्बर .....दिनांक .....में अंकित ई पी एफ/ ई एस आई की राशि.....जो इस चालान की राशि .....में सम्मिलित कर संबंधित विभाग में जमा करवादी गयी है ।"

41.सर्विस टेक्स के प्रूफ के रूप में प्रस्तुत चालान की प्रति पर यह अंकित करना होगा कि " प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेश क्रमांक .....दिनांक .....के क्रम में ठेके पर माह .....में उपलब्ध करवायी गयी सेवा के बिल नम्बर .....दिनांक.....में अंकित सर्विस टेक्स की राशि .....जो इस चालान की राशि .....में सम्मिलित कर जमा करादी गयी है।"

42. श्रम विधि नियम, उप नियम व इस बाबत समय-समय पर राज्य सरकार / उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचनाएं आदि में दिये गये दिशा निर्देशो की पालना एवं समस्त श्रम नियमो की पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा । श्रम विधि नियम / उप नियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/ दायित्वों के लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा। ठेकेदार को श्रम विधि नियम / उप नियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो एवं कार्मिक हित में जारी किये गये संशोधनों की पालना करने का दायित्व ठेकेदार का होगा, पालना नही करने की स्थिति मे उच्च न्यायालय प्रशासन को ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

43. यदि ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से शर्तों के अनुसार सफाई नहीं की जाती है या ठेकेदार द्वारा किये गये सफाई कार्य के संतोषजनक न होने की दशा में उसके नाम का ठेका निरस्त किया जा सकता है, अन्य फर्म को ठेका दिया जाकर अन्तर राशि असफल ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

44.निविदादाता को बोली प्रतिभूति के रूप में निविदा की लागत मूल्य के 2% के बराबर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के नाम से

45. निविदा के साथ प्रस्तुत कराना होगा । बोली प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

46.ठेका स्वीकृत हो जाने की स्थिति में सफल निविदादाता को सात दिवस में रूपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा जो ठेके की अवधि में वैध होगा , जिसका समस्त व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा।

47.बिना बोली प्रतिभूति राशि के निविदा पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

48.निविदा स्वीकार करने/ अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में निहित होगा।

49.ठेका कभी भी रदद करने का अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में निहित रहेगा। न्यूनतम दरे स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है।

50.ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में या कोई त्रुटि पाये जाने पर इस राशि का 5% जमानत राशि दण्ड स्वरूप देय होगी।

51.निविदा स्वीकृत होने की दशा में अनुमोदित निविदा दाता को कार्यादेश की कूल राशि के 5 % के बराबर राशि के रूप में कार्य सम्पादान के आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह में जमा करानी होगी । निविदा के समय बोली प्रतिभूति, प्रतिभूति के रूप में जमा कराई गई राशि का समायोजन किया जायेगा।

52.किसी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाहियां ठेकेदार या किसी भी पक्ष (सरकार अथवा संविदाकार) द्वारा संक्षय किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ होगी अन्य स्थानों पर नहीं।

53.निविदाएं रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष सील बंद लिफाफे में निविदा सूचना में दी गयी निर्धारित दिनांक तक ही पेश किये जा सकेंगे / खोली जायेगीं। उस समय समस्त निविदा दाताओं का उपस्थित रहना अपेक्षित है।

54.किसी भी दिन कार्य से अनुपस्थित रहने पर उस दिन अन्य एजेन्सी से सफाई का कार्य सम्पादित करवाया जावेगा व उसकी राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

55.यदि ठेकेदार के किसी कृत्य या अपकृत्य से व्यथित होकर कोई सफाईकर्मी न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें उच्च न्यायालय प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो संबंधित न्यायालय में एडवोकेट, जवाबदावा पेश करने में उच्च न्यायालय प्रशासन पर पडने वाला समस्त आर्थिक भार ठेकेदार से वसूल किया जावेगा ।

56.उक्त सफाई कार्य को आंशिक रूप से मशीनों द्वारा व आंशिक रूप से मानव श्रम द्वारा करना होगा एवं इन मशीनो के उपयोग के लिये ठेकेदार तकनीकी रूप से दक्ष कार्मिक नियुक्ति करेगा :-

	Approx. Qty.
1. One Single Disc Scrubbing Machine	1
2. Floor cleaning machine	2
3. One Vaccum Machine	1
4. Wet & Dry Scrubs	1
5. One Manual Sweeper	1
6. Commercial Vacume cleaner and blower	1
7. Joby Dust Pan	25
8. High Pressure Toilet cleaning machine	2
9. Glass Cleaning Equipments	3
10.Jet Cleaning Machine	2

11.Insecticile spray machine	1
12.Bio Hygenic Cleaning Solutions	as per requirements

56.न्यायालय में कार्यरत कोई भी अधिकारी से सफाई कार्य से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर निविदा एवं अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जावेगी एवं शिकायत से संबंधित सफाई कार्य तुरन्त करवाया जावेगा।तथा निम्नानुसार पैनल्टी भी वसूली जायेगी:-

1. कक्ष में सफाई कार्य न होने पर	रूपये 50/- प्रति कक्ष प्रति दिन
2.(i) चैम्बर में संलग्न टॉयलेट/यूरेनल में सफाई न होने पर -	रूपये 25/- प्रतिदिन प्रति टॉयलेट
(ii) सार्वजनिक उपयोग के टॉयलेट/ यूरेनल में सफाई न होने पर।	रूपये 50/- प्रतिदिन प्रति टॉयलेट
3. किसी खिडकी/दरवाजे में सफाई न होने पर।	रूपये 10/- प्रति दिन प्रति खिडकी/दरवाजें।
4.किसी भी रेलिंग सफाई कार्य न होने पर	रूपये 20/- प्रति फीट प्रति दिन
5. बरामदा सफाई कार्य न होने पर	रूपये 50/- प्रति बरामदा प्रति दिन
6. डस्टबीन (बडा)सफाई कार्य न होने पर	रूपये 50/- प्रति दिन
7.अन्य सफाई कार्य न होने पर	रजिस्ट्रार(प्रशासन) के विवेकानुसार ।
8. सम्पूर्ण परिसर में सफाई कार्य न होने पर	रूपये 1000/- प्रति दिन (उपरोक्त सभी कटौतियों को शामिल करते हुए)

57. यदि निर्धारित जाब बैसिस कार्य बिन्दुओं पर कार्य व्यवस्था संतोषजनक नही पाई जाती है तो उच्च न्यायालय प्रशासन के निर्देशानुसार ठेकेदार को सफाईकर्मियो की संख्या में बढोतरी करनी होगी इस हेतु निविदा में अंकित दर/ अनुमोदित दर में किसी प्रकार की बढोतरी नही की जावेगी तथा अनुमोदित दर के अलावा किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नही किया जावेगा।

58. यदि शिकायत के बावजुद भी सफाई नहीं की जाती है तो पैनल्टी की दुगनी राशि की वसूली की जावेगी। हर शिकायत का लेखा / जोखा न्यायालयाधिकारी रखेगें तथा हर एक परिसर में शिकायत पुस्तिका का स्थान सुनिश्चित करेगें।

59.उपर्युक्त वर्णित शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्ते सा.वि.ले.नि. एवं राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम 2013 में दी गयी है, वे सभी यथा स्थान लागू रहेगी।

60 .सफाई व्यवस्था हेतु आई.एस.ओ.(ISO certified) फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।